न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 67/2023

ऑनलाईन नम्बर 2023/113

निर्णय दिनांक 19.12.2024

1.स्व. सुखाराम पुत्र श्री रावतराम जाति मेघवाल निवासी लाखनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़

1/2 मूलाराम पुत्र श्री सुखाराम जाति मेघवाल निवासी लाखनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ।

2. मुल्तानाराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3. बीरबलराम पुत्र मंगतुराम जाति मेघवाल निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोमासर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थना—पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है यह है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 852/821 क्षेत्रफल 0.3700 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 853/821 क्षेत्रफल 0.8900 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 822/674 क्षेत्रफल 5.5000 हैक्टेयर वाके रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। खेत खसरा नंबर 852/821, खसरा नंबर 853/821, खसरा नंबर 822/674 का मूल खसरा नंबर 674 था जिसका खातेदार प्रार्थी संख्या 3 था। प्रार्थी संख्या 3 ने अपने मूल खसरा नंबर 674 में से अप्रार्थी संख्या 2 को कुछ कृषि भूमि विक्रय की थी तथा प्रार्थी संख्या 2 ने अपने द्वारा खरीद की गई खातेदारी कृषि भूमि में से कुछ कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 को विक्रय की थी तथा मौका पर नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त सुपुर्द किया था। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज कर दिया गया तथा तरमीम करते समय मौका कब्जा काश्त अनुसार तरमीम न कर भूलवंश गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि में मौका पर नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने दिनांक 11.02.2023 को अपने कृषि भूमि के नक्शे निकलवाये तब प्रार्थीगण को उपरोक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से मिले व तरमीम शुद्धि हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने क्षेत्राधिकार से बाहर का होने का बताकर शुद्धि करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में रहिन दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है लेकिन जमाबंदी में रहिन का नोट होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। नक्शे में शुद्धि होने से अप्रार्थी संख्या 2 के हितो पर किसी प्रकार का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:51:56 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा । वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाज के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। प्रार्थना–पत्र पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है। प्रार्थना पर श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि खेत खसरा नंबर 852/821 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 853/821 तादादी 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 822/674 तादादी 5.5000 हैक्टैयर वाके रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ के ट्रेस नक्शों को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 02 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण संख्या 01 फौत होने प्रार्थीगण संख्या 01 के जायज वारिसान को प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण संख्या 1 के स्थान पर प्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/7 पक्षकार संयोजित किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पक्षकार डिलीट करनें बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 से 1/7 का नाम प्रार्थना पत्र से डिलिट किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 852/821 तादादी 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 853/821 तादादी 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 822/674 तादादी 5.5000 हैक्टैयर वाके रोही ग्राम आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम मौका अनुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:51:56 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा — निर्णय का भाग

मौका अनुसार

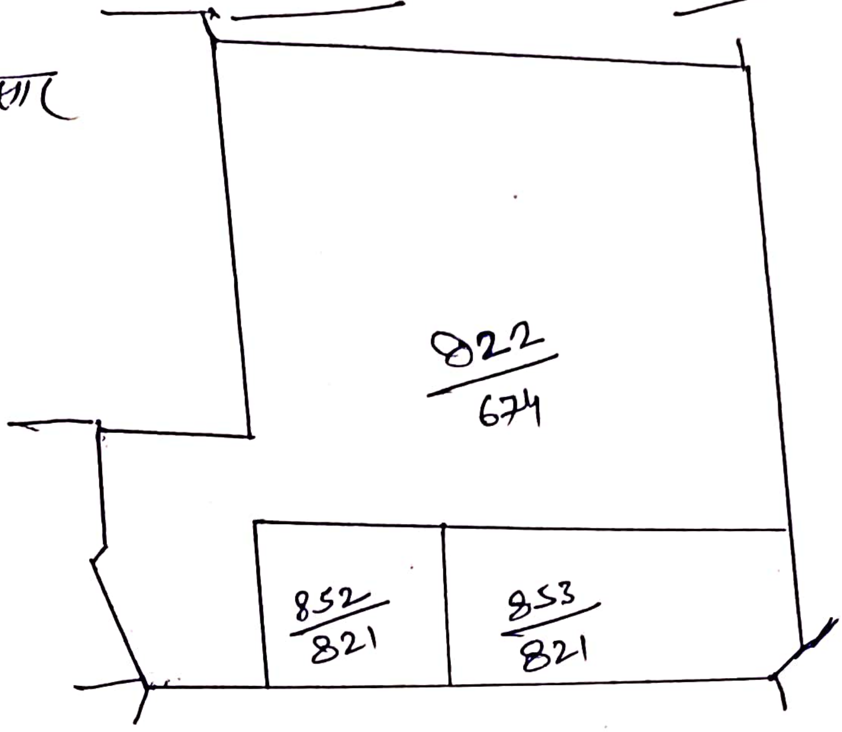

रिकॉर्ड अनुसार

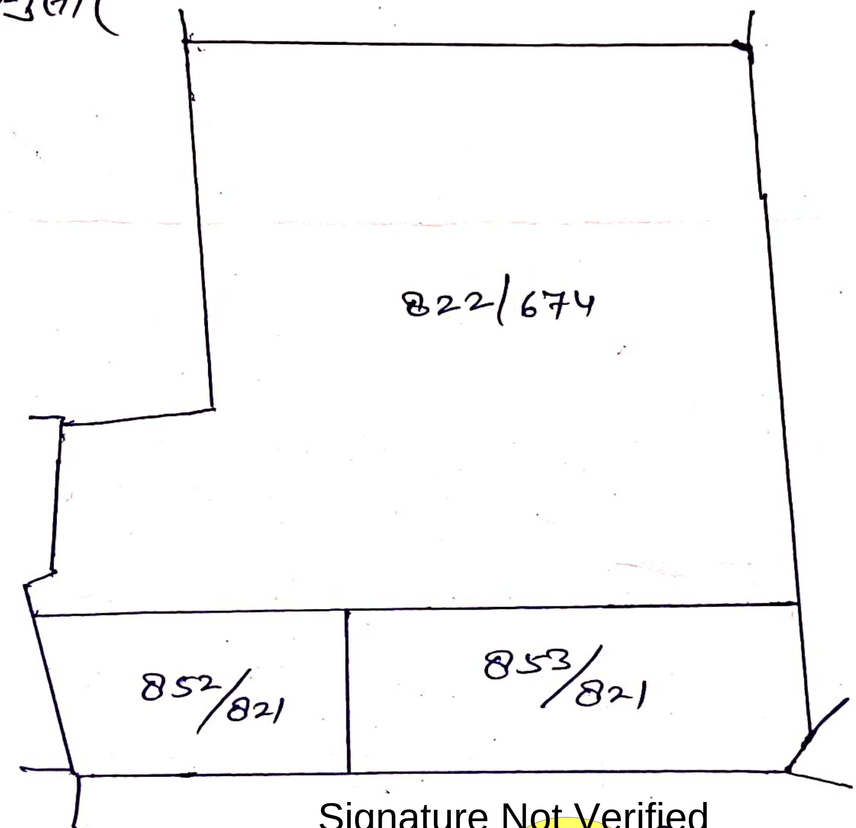

मौका रिपोर्ट मौके पर बनाया गया उपस्थित वादी व मौजीज व्यक्तियों को मौके पर पढ़कर सुनाया गया उपस्थित लोगों ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये।

रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.23 11:51:56 IST
Reason: SelfAttested

रामचन्द्र

मुलाराम

पटवारी
प.म. आडसर